International Journal of Humanities and Social Science Research
ISSN: 2455-2070; Impact Factor: RJIF 5.22
Received: 16-12-2020; Accepted: 31-12-2020; Published: 15-01-2021
www.socialsciencejournal.in
Volume 7; Issue 1; 2021; Page No. 41-42

घरेलु हिंसा एक सक्षिंप्त परिचय

Harsh Kumar
Ex Assistant Professor, Department of Humanities, Bhopal School of Social Sciences, Bhopal, Madhya Pradesh, India

साराशं
किसी भी देश की तरक्की उस देश के नागरिक के रहन सहन व विकास से नापी जाती है। तथा कुछ मुलभूत अधिकार व सुविधाओं से जैसे की समानता स्वतन्त्रता हो लेकिन भारतीय समाज में एक वर्ग ऐसा है। जो इन मुलभूत सुविधाओं के लिए आज भी सघर्ष कर रहा है। और एक विचित्र हिंसा का शिकार हो रहा है। जिसे हम घरेलु हिंसा कहते है। इस हिंसा के नाम पर समाज का एक वर्ग दुसरे वर्ग पर अत्याचार करता है। उसका मानसिक व सामाजिक व आर्थिक शोषण करता है इस तरह की हिंसा केवल भारत में ही नहीं अपितु विश्व के हर कोणे में देखने को मिलती है। विश्व सगंठनो ने इस प्रकार की हिसां को लिंग के आधार पर होने वाली हिंसा का नाम दिया है। जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं को मानसिक, शारीरिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। साथ ही वह इस तरह के कृत्यों से नजरबन्द व स्वतन्त्रता से वचिंत कर दी जाती है। घरेलु हिसां सार्वजनिक व निजी जीवन में होने वाली हिसां दुनिया भर के घरो में प्रतिदिन होती है। घरेलु हिंसा एक गंभीर अपराध हैं यह कहना गलत नही होगा। की कुल मिलाकर 14 से 50 वर्ष के उम्र की लगभग एक तिहाई महिलाओं ने घरेलु हिंसा को किसी न किसी रूप में झेला ही होता है। यह चीज काफी निराशाजनक लगती है। जिस देश में महाकाव्यो में कवियो द्धारा महिलाओं को देवी समान बताया गया है। जहां देवी देवताओं की इतनी पुजा अराधना व सम्मान होता है। उस देश में महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार होता है। घरेलु हिंसा के मुद्दे से निपटने के लिए चाहे कानुन है। परन्तु उसे सख्त व सही तरीके से लागू करने की आवश्यकता है।

कुंजी शब्दः घरेलु हिंसा, कारण, शारीरिक हिंसा

प्रस्तावना
महिलाओं के ऊपर होने वाले अपराध घरेलु हिंसा पर सयुंक्त राष्ट्र भी चिन्तित है। सयुक्तं राष्ट्र महिलाओं के खिलाफ होने वाली इस हिंसा को जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। यह मौखिक भी हो सकता हैं। शारीरिक भी हो सकता है। यह पेपर महिलाओं के विरूद्ध हो रही हिसां की और ध्यान केन्द्रित करता है। तथा मौजुदा कानुन को सख्ती से लागु करने की वकालत करता है। ताकि महिलाओं के प्रति यह हिसां रोकी जा सके। भारत में महिलाओं की स्थिति सदा आन्दोलनो के तौर पर रही है। यह कहना उचित होगा की सदियो से महिलाए अपने हको और अपनी पहचान के लिए समाज के कठोर नियमो, परम्पराओं से लड़ती रही है। भारत में महिलाओं का इतिहास घटनापूर्ण ही रहा है। यह बात विचार करने योग्य है। की एक देश जिस के कवियो, काव्यो में नारीत्व की प्रशंसा करता है। और वही उसी देश की आम महिलाओं के लिए कितना निराशाजनक और उदासीन हो सकता है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के कई रूप है। जैसे की साथी द्धारा यौन शारीरिक या भावनात्मक शोषण करना तथा। यह परिवार के सदस्यो के द्धारा या किसी साथी के द्वारा किया जा सकता है। इस तरह की हिंसा में पांरम्परिक प्रथाओं के नाम पर जबरन बाल विवाहः दहेज–सबंधी हिंसा तथा परिवार के सम्मान के नाम पर महिलाओ की हत्या (ऑनर किंलिग) शामिल है।

हिंसा के कारण
महिलाओं के विरूद्ध तो कई तरह की हिसांए होती है। लेकिन घरेलु हिंसा एक ऐसी हिंसा है। जो महिला को केवल बाहर से नही। अपितु आन्तरिक रूप से भी घायल करती है। इस के कई कारण है सर्वप्रथम हमारा भारती समाज का पितृप्रधान होना। चाहे आज भारत में महिलाए उच्च पदो पर बैठी है। परन्तु फिर भी भारत आज भी उस पितृप्रधान व्यवस्था की जंजीरो में जकड़ा हुआ है। घरेलु हिंसा को बढ़ने का अन्य कारण लोगो में इस की कम जागरूकता भी शामिल है। कई बार तो यह भी देखा गया है। की घरेलु हिंसा से प्रभावित पीड़िता भी समाज और परिवार के दबाव से इस के विरूद्ध अवाज को नही उठाती भारत में महिलाओं को अपने अधिकारो के बारे में जागरूकता ही नही हैं। उन्हें तो यह भी नही पता की सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए घरेलु हिंसा अपराध अधिनियम पारित किया है। लेकिन इन्हें इन सब के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है और जिन के कंधो पर इस कानुन को लागु करने की जिम्मेदारी है। वह भी अपनी जिम्मेदारी को जमीनी स्तर तक नही ला पा रहे है। परिणाम यह है। की यह अब एक चुनौती ही बन गई है।

घरेलु हिंसा के प्रभाव–शारीरिक नुकसान
घरेलु हिंसा की पीड़िता को शारीरिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्युरो के अगर 2012 के आकड़ो पर नजर दौड़ाई जाए तो 33 प्रतिशत मामलो में एक घरेलु हिंसा की पीड़िता को गम्भीर शरीर चोटी का सामना करना पड़ा है। कई बार तो इन गम्भीर चोटों के कारण पीड़िता को जान भी गवानी पड़ी है। 19 प्रतिशत में तेजाब से हमला व 25 प्रतिशत महिलाओं को जिन्दा जला देना शामिल है। घरेलु हिंसा का यह आकड़ा यहां तक सीमित नही होता राष्ट्रीय अपराध ब्युरो की माने तो यू.पी 52 प्रतिशत बिहार 46 प्रतिशत और राजस्थान 42 प्रतिशत हरियाणा 51 प्रतिशत घरेलु हिंसा के मामलो में आगे है। लेकिन यह आकड़े सिर्फ वह है। जहां पर पीड़िता ने शिकायत दर्ज करवाई। कुछ मामले तो वह है। जहां पर पीड़िता शिकायत दर्ज ही नही करवा पाती है। सामाजिक मान सम्मान के कारण उस की हत्या ही कर दी जाती है। जिसे आम भाषा में आनर किलिंग कहते है। घरेलु हिंसा का सबसे ज्यादा प्रभाव महिलाओं

के सम्पूर्ण जीवन पर पड़ता है। जिस में वह सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक व भावनात्मक रूप से पिछड़ जाती है। भारतीय समाज में घरेलु, हिंसा एक चुनौती है। इस पर नियन्त्रण करना बहुत जरूरी है।

रोकथाम

घरेलु हिंसा के अब तक जो भी उपाय किए गए है। उन की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए एक मुल्यांकन करना जरूरी है। घरेलु हिंसा को अगर जड़ से समाप्त करना है तो महिलाओं और लड़किया के शिक्षा के अवसरो को बढ़ाना चाहिए। ताकि वह अपना विकास कर सके। महिलाओं के आत्मसम्मान व विश्वास को और बातचीत के कौशल में सुधार करना चाहिए ताकि वह सही ढंग से अपनी बात रख सके। समाज के अन्दर से लिंग असमानता को घटाना भी बहुत जरूरी है। ताकि महिलाए आगे आ सके। ऐसे कार्यक्रमो का आयोजन करना जिस में घरेलु हिंसा की शिकार महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। और लैगिंक असमानता और हिंसा की स्वीकार्यता के प्रति दृष्टिकोण को बदलने के लिए पुरूषो और लड़को के साथ कार्य करना। लोगो में जागरूकता फैलाना ताकि सब मिलाकर इसको खत्म कर पांए।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

घरेलु हिंसा जैसी समस्या केवल भारत देश तक ही सीमित नही है। यह विश्व के हर कोणो को अपनी चपेट में लिए हुए है। इसी कारण जरूरी है। की विश्व समुदाय मिल कर इस चुनौती का सामना करे और इसका हल निकाले इस सदर्भ में विश्व स्वास्थ्य सगठंन व सहयोगी साझेदारो ने महिलाओं के खिलाफ हिसां कम करने के लिए सहयोग करते है। जिसमें समस्या की पहचान, मात्रा और प्रतिक्रिया करने में मदद मिलती है। जिस से समस्या की झड़ तक पहुंचना आसान होता है। इसके लिए विश्व स्वास्थ्य सगंठन ने कई प्रयास किए है। डब्ल्यू एच ओ के द्धारा हिंसा के साक्ष्य निर्माण पर बल दिया ताकि घरेलु हिंसा के प्रकार व भयावहता को समझा जा सके। सदस्य राष्ट्रो और स्वास्थ्य पेशेवरो के लिए उचित मार्गदर्शन और मानको का निर्माण करना ताकि हिसां को रोका जा सके। और स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रतिक्रियाओं को और मजबुती प्रधान की जा सके। ताकि वह पीड़िता को उचित इलाज प्रदान कर सके। इसके साथ ही यह जरूरी है। की सदस्य राष्ट्रो को समय–2 पर सुचनाए प्रदान करना ताकि वह महिलाओं के अधिकारो को प्रोत्साहित करे। और हिंसा को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मजबुत प्रयास करे। जिस से इस चुनौती से निपटा जा सके।

निष्कर्ष

कई दशको से समाज में फैली इस बुराई के खातमें के लिए सरकार व सामाजिक कार्यकर्त्ताओं द्धारा समय –2 पर महिलाओं के विरूद्ध होने वाले घरेलु हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई है। तथा इस पर अकुंश लगाने को लेकर लगातार सहयोग कर रहे है। ताकि वह महिलाओं को उनके सवैधानिक अधिकारो के प्रतिजागरूक कर सके। लेकिन फिर भी इस घरेलु हिंसा के केसो में वृद्धि होती जा रही है। लगातार घरेलु हिंसा के कानुनो का दुरपयोग हो रहा है। अगर घरेलु हिंसा के इस अधिनियम को सही तरीके से लागु किया जाए तो यह महिलाओं लिए एक शक्तिशाली हथियार होगा। लेकिन जागरूकता न होना और सामाजिक रूढिवादी सोच जब तक यह नही बदलेगी। तब तक यह कानुन मात्र किताबो तक सीमित रहेगा। जरूरी है। बदलाव करने की, तभी इस चुनौती से जीता जा सकता हैं।

संदर्भ सूची

1. http://www.who.int/mediacentre/facthsheets/fs/289/en/index. Html
2. नैंदी अर्पूवा, प्रिंसिपल ऑफ फोरैन्सिक मैडिसिन, न्यू सैंट्रल एंजेसी लिमिटेड. 3 अध्याय, 2010 पृष्ठ –557–578
3. दा गजट ऑफ इण्डिया, रिजिस्ट्रद नम्बर 04/0007/2003-05 दा प्रोटैक्शन ऑफ विमिन एक्ट 2005 (43 of 2005) 13 flrEcj 2005
4. महिलाओ के विकास के लिए राष्ट्रीय नीति, 2001 at http://wcd.nic.in/ empowerment.htm
5. बरूस्टर, एम पी जर्नल ऑफ फैमिली वॉयलन्स 2003,18 (4): 207-217
6. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, भारत में अपराध, 2014 भारत सरकार के आंकड़े
7. योजना आयोग, वार्षिक रिर्पोट 2013–2014 (13 अगस्त 2016)